2015/00003

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट जसोल

पीठासीन अधिकारी—श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 19/2015

प्रार्थी
सार्वजनिक रामद्वारा(वैष्णव संप्रदाय) जसोल ट्रस्ट ग्राम जसोल जरिये अध्यक्ष श्री रघुवीर महाराज अध्यक्ष सार्वजनिक रामद्वारा(वैष्णव संप्रदाय)जसोल ट्रस्ट ग्राम जसोल तहसील,पचपदरा

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.सरपंच ग्राम पंचायत जसोल
2.गणपतलाल पुत्र छगनलाल जाति घांची निवासी जसोल तहसील,पचपदरा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 निरस्त करने पट्टा संख्या 98 दिनांक 05.03.2014 जो ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी किया गया।

उपस्थितः—1. पवन सिंहल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत जसोल अप्रार्थी संख्या 01 की ओर।
3. श्री अमृत जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।

निर्णय दिनांक 26.05.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 गणपतलाल ने सरपंच ग्राम पंचायत जसोल के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत जसोल की आबादी भूमि में 503.53 वर्ग फीट में भूखण्ड आया हुआ है जिस पर पुराना कब्जा है। इसलिये उक्त भूखण्ड का पट्टा दिलवाने की कृपा करावें। इस पर ग्राम पंचायत,जसोल ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर प्रार्थी संख्या 02 का पुराना कब्जा होना बताते हुए नियम 157(2) के तहत दिनांक 05.03.2014 को आबादी भूमि का 458.25 वर्ग फीट का पट्टा संख्या 98 जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि जारी पट्टा की भूमि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत जसोल ने नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने इस पट्टा को अपने आधिपत्य व स्वामित्व एंव गलत व नियम नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी इस पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलक्टर
बाडमेर

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ जारी किये एंव ग्राम पंचायत जसोल से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।

3. अप्रार्थी संख्या संख्या 02 के अधिवक्ता श्री अमृत जैन हाजिर आये जिन्होने निगरानी के पद संख्या 02 से 06 गलत होने अस्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट जसोल में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण उपस्थित रहे। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित रहे। जिन्होनें लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

5. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत जसोल से प्राप्त रिकॉर्ड एंव प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 गणपतलाल के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1996 के नियम जिसमें आबादी भूमि के हस्तांतरण के नियम दिये हुए है,का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत जसोल ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत बनाये आबादी भूमि के बिक्री एंव आवंटन के नियमो की कोई पालना नहीं की गई है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड क्रय करना चाहता है अथवा पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के 25/—की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/— जमा कराने चाहिये। मगर इस मामले में अप्रार्थी संख्या 02 गणपतलाल द्वारा राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य पंचायत की पत्रावली में नही है। अप्रार्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भूखण्ड का एक नजरी नक्शा भी पेश करना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा प्रमाणित नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचो की समिति नियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में अंकित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगीं। पत्रावली पर रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध है। मगर मौका रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 का कितने वर्षो से कब्जा है एंव अप्रार्थी का मकान एंव दुकान बना हुआ है अथवा नहीं इसका अंकन मौका निरीक्षण रिपोर्ट में नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि इस

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भूखण्ड पर अप्रार्थी का कितने वर्षो से कब्जा है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थल पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है मगर नोटिस की प्रतियां किस किस स्थन पर चस्पा की गई है उसका अंक नहीं किया गया है। यह पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम 157(ख) के तहत जारी करना बताया है। इस नियम के तहत इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/— लेकर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। इस मामले में मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निर्मित मकान होना और पुराना होना अथवा दुकाना होना नहीं बताया है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा की भूमि उनकी आधिपत्य एंव पट्टा सूद भूमि है जिस पर प्रार्थी ट्रस्ट का 60 वर्षो से कब्जा है। अप्रार्थी का यह कथन कि उसके पक्ष में इस पट्टा की भूमि प्रार्थी रामद्वारा के स्वामित्व की नहीं है। देवस्थान विभाग में रामद्वारा के द्वारा प्रस्तुत नक्शे में रामद्वारे के भूमि के बाहर अन्य दुकान बताई है और उसी में वादग्रस्त दुकान शामिल है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने वादग्रस्त भूमि—दुकान के रूप में पारसमल पुत्र पुखराज से दिनांक 13.06.08 को खरीदना बताया है और पारसमल ने यह दुकान रामद्वारा के संत रामस्वरूपजी से खरीदना बताया है। अतः ग्राम पंचायत जसोल ने इन तथ्यों पर विवेचन नहीं किया है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही विवरण में दिनांक 20.01.2014 में सरपंच ने नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी करने का आदेश दिया है और यह पट्टा नियम 157(2) के तहत 200/'—वसूल कर जारी किया गया इससे स्पष्ट नहीं है कि अप्रार्थी का भूखण्ड पर निर्माण किया हुआ है अथवा नहीं एंव मकान का पट्टा जारी किया गया है अथवा दुकान का,स्पष्ट नहीं है। इस मामले में विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दोनो पक्षो द्वारा परस्पर विरोधी दावे प्रकट किये जा रहे है। दोनो पक्षों द्वारा बहस में जो तथ्य प्रकट किये गये है उससे भी यह पाया जाता है कि जिन भूखण्ड को लेकर पट्टा जारी किया गया है उस पर दोनो पक्षो में विवाद चल रहा है और नियम 145 से 157 की पूर्ण पालना नहीं की गई है एंव निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना एंव जॉच किये बिना ही ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जो खारिज करने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 गणपतलाल के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 98 दिनांक 05.03.2014 को खारिज किया जाता है और मामला सरपंच ग्राम पंचायत जसोल को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर एंव दोनो पक्षों से साक्ष्य सबूत रिकॉर्ड पर लेते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 में अंकित प्रक्रिया को अपनाते हुए मामले में नियमानुसार पुनः उचित आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प जसोल में आज दिनांक 26.05.2016 को सुनाया गया

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर